

शहरी भारत में आपदा प्रबंधन

यह एडिटोरियल 17/01/2022 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "Storm Warnings of A Megacity Collapse" पर आधारित है। इसमें भारत के शहरों में खराब आपदा प्रबंधन से संबंध समस्याओं के बारे में चरचा की गई है।

संदर्भ

चेन्नई में हाल ही में हुई अपरत्याशति भारी बारिश की घटनाओं ने बार-बार मानसूनी बाढ़ और शहर के बंद होने (Urban Paralysis) जैसी समस्याओं को जन्म दिया। इसके साथ ही इसने चरम मौसमी घटनाओं के कारण शहरी व्यवस्था के पतन के जोखियों को भी उजागर किया। अतीत में चेन्नई में वर्ष 2015 में आई वनिशकारी बाढ़ और मुंबई में वर्ष 2005 में उत्पन्न हुई भीषण बाढ़ की स्थितिके बाद उम्मीद थी कि शहरी विकास के संबंध में प्राथमिकताओं में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलिए।

किंतु भारी सामुदायिक समर्थन और परिवर्तन के लिये सक्रिय लाम्बांदी के बावजूद, कानून बस दिखावे भर के लिये बने रहे और शहरी वातावरण में असंवहनीय परिवर्तन होते रहे। पारस्िथितिकी की कीमत पर स्थायी, अभिजित नियमों को समर्थन दिया गया। यह उपयुक्त समय है सरकार समझे कि शहरी भारत को वर्तमान में आकर्षक रेट्रोफिट 'स्मार्ट' एन्कल्वेस की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे आवश्यकता सुदृढ़, कार्यात्मक महानगरीय शहरों की है।

शहरी नगर और आपदा प्रबंधन

- **भारत की आपदा संवेदनशीलता:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA) के अनुसार, भारत में कुल भूमिका लगभग 12% बाढ़ के खतरे से युक्त है, 68% सूखा, भूस्खलन एवं हिमस्खलन के प्रति संवेदनशील है और 58.6% भूभाग भूकंप-प्रवण है।
 - भारत की 7,516 कलिमीटर लंबी तटरेखा के 5,700 कमी। हिस्से के लिये सुनामी और चक्रवात एक नियमित घटना है।
 - इस तरह की संवेदनशील परस्िथितियों के कारण भारत विश्व के प्रमुख आपदा-प्रवण देशों में शामिल है।
- **शहरों के लिये नीति आयोग की रपोर्ट:** नीति आयोग ने 'भारत में शहरी नियोजन कृष्मता में सुधार' विषय पर अपनी रपोर्ट में कोवडि-19 महामारी को एक भविष्यसूचक क्षण के रूप में उद्धृत किया है जो वर्ष 2030 तक सभी शहरों के स्वस्थ शहर में परिणित होने की अनिवार्य आवश्यकता को रेखांकित करता है।
 - जलवायु प्रभावों द्वारा शहरों को अधिक मौलिक और स्थायी रूप से प्रभावित किया जाना तय है।
 - यह नागरिकों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं का आकलन करने के लिये भागीदारी योजना उपकरण, सर्वेक्षण और फोकस समूह चरचा को अपनाने के साथ 500 प्राथमिकता शहरों को एक प्रतिस्पर्द्धी ढाँचे में शामिल करने की सफारियां करता है।
- **प्रभाव:**
 - चक्रवातों के कारण वृक्षों के बड़े पैमाने पर उखड़ने से शहरी क्षेत्रों में पहले से ही घट रहे हरति आवरण प्रभावित होते हैं।
 - भारी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में आपदाओं के कारण बड़ी संख्या में मानव जीवन की हानिहो सकती है।
 - असुरक्षित/कमज़ोर बुनियादी संरचनाएँ, जो भूकंप या सुनामी में ढह जाती हैं, किसी भी अन्य प्रकार के प्राकृतिक खतरे (जैसे बवंडर या तूफान) की तुलना में अधिक लोगों की जान लेती है।
 - आपदाएँ आधारभूत संरचनाओं को तबाह कर देती हैं और इनसे व्यापक आर्थिक क्षति होती है।
 - विश्व बैंक का अनुमान है कि विश्विक आपदा क्षति 520 बिलियन डॉलर तक पहुँच चुकी है और ये आपदाएँ प्रतिवर्ष 24 मिलियन लोगों को निर्धनता की ओर धकेलती हैं।

चुनौतियाँ:

- **नियोजन और स्थानीय शासन की समस्याएँ:** सभी शहरों में से आधे से भी कम में 'मास्टर प्लान' मौजूद हैं और इन पर भी अनौपचारिक रूप से ही अमल होता है क्योंकि प्रभावशाली अभिजित वर्ष और गरीब वर्ग दोनों ही आरद्रभूमि और नदी तटों जैसी सार्वजनिक भूमियों का अतिक्रमण करते हैं।
 - नगर परिविदों की उपेक्षा, सशक्तीकरण की कमी और नगरपालिका प्राधिकारों में क्षमता नियमण की विफलता ने चरम मौसम के दौरान बार-बार शहरी पक्षाधात की स्थितिउत्पन्न की है।

- **प्राकृतिक स्थानों का अतक्रिमण:** देश में आरद्रभूमिकी संख्या वर्ष 1956 में 644 से घटकर वर्ष 2018 में 123 रह गई और हरति आवरण महज 9% है, जो आदर्श रूप से कम से कम 33% होना चाहयि था।
 - महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्तियों का अतक्रिमण कफियती शहरी आवासों की आपूरति है बाजार की शक्तियों पर अत्यधिक नरिभरता को प्रकट करता है।
 - आवास क्षेत्र में अधिकांश उपनगरीय नविश उनके वास्तविक मूल्य को नहीं दर्शाते, भले ही वे सरकार द्वारा 'अनुमोदित' हों, क्योंकि नगर से दूर स्थित इन नगर पंचायतों के पास जल आपूरति, स्वच्छता और सड़कों जैसी बुनियादी संरचनाओं के नरिमाण की भी प्रयापत क्षमता या धन का अभाव होता है।
- **अपर्याप्त नकासी अवसंरचना:** जल नकासी तंत्र पर अत्यधिक दबाव, अनियमित नरिमाण, प्राकृतिक स्थलाकृतिएं 'हाइड्रो-जियोमॉर्फोलॉजी' की अवहेलना आदि शहरी बाढ़ को एक मानव नरिमाण आपदा बनाते हैं।
 - हैदराबाद, मुंबई जैसे शहर एक सदी पुरानी जल नकासी प्रणाली पर नरिभर हैं, जो मुख्य शहर के केवल एक छोटे से हस्तिसे को ही दायरे में लेती है।
 - शहरों के वसितार के साथ उपयुक्त जल नकासी व्यवस्था के अभाव को दूर करने के लिये अधिक प्रयास नहीं किया गया।
- **कार्यान्वयन में शाथिलिता: प्र्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment- EIA)** जैसे नियमित तंत्रों में वर्षा जल संचयन, संवहनीय शहरी जल नकासी प्रणाली आदि के प्रावधानों के बावजूद उपयोगकरता के साथ-साथ प्रवर्तन एजेंसियों के स्तर पर इनके अंगीकरण की गति शाथिलि रही है।

आगे की राह

- **स्थानीय स्वशासन की भूमिका:** वृहत समावेशन और समुदाय की भावना को सुनिश्चित करने के लिये लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई स्थानीय सरकारों को केंद्रीय भूमिका सौंपे जाने की आवश्यकता है।
 - जलवायु परविरतन अनुकूलन के लिये एक शीर्ष-स्तरीय वभिग का नरिमाण करना उपयुक्त होगा जो आवास एवं शहरी वकास, परविहन, जल आपूरति, ऊर्जा, भूमि उपयोग, लोक कार्य और सचिवाई जैसे राज्य के सभी संबंधित वभिगों का समन्वय करेगा और उन्हें नियाचति स्थानीय सरकार के साथ मलिकर कार्य करने में सक्षम बनाएगा। प्राथमिकताओं के नरिधारण और उत्तरदायतिव के बहन में इस शीर्ष वभिग की प्रमुख भूमिका होगी।
- **समग्र संलग्नता:** ऊर्जा एवं संसाधनों के ठोस और केंद्रित नविश के बना वृहत स्तरीय शहरी बाढ़ को अकेले नगरपालिका अधिकारियों द्वारा नरित्तरति करना संभव नहीं होगा।
 - नगर नगिमों के साथ-साथ महानगर वकास प्राधिकरण, NDMA और राज्य के राजस्व एवं सचिवाई वभिगों को इस तरह के कार्य के लिये एक साथ संलग्न करना होगा।
- **बेहतर शहर नियोजन:** सस्ते आवास सहति शहर के वकास के सभी आयाम भविष्य के जलवायु परविरतन के प्रति अनुकूल होने में केंद्रीय भूमिका नभिते हैं।
 - वे आधारभूत संरचना नरिमाण के दौरान भी कारबन उत्सर्जन वृद्धिको कम कर सकते हैं यदि बायोफलिक डिजाइन (biophilic design) और हरति सामग्री का उपयोग किया जाए।
 - नयोजित शहरीकरण आपदाओं का सामना कर सकता है। इसका आदर्श उदाहरण जापान है जो नरिमाण रूप से भूकंप का सामना करता रहता है।
 - भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (India Disaster Resource Network) को व्यवस्थिति सूचना और साधन एकत्रीकरण (Equipment Gathering) के लिये एक नथिन (Repository) के रूप में संस्थागत किया जाना चाहयि।
- **'ड्रेनेज प्लानिंग':** नीति और कानून में वाटरशेड प्रबंधन और आपातकालीन नकासी योजना/ड्रेनेज प्लानिंग को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना चाहयि।
 - **अर्बन वाटरशेड** सूक्ष्म पारस्थितिक जल नकासी प्रणाली (Micro Ecological Drainage Systems) हैं, जो भूभाग की आकृति के अनुरूप आकार ग्रहण करते हैं।
 - इनका वसितृत दस्तावेज उन एजेंसियों के पास होना चाहयि जो नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र से बंधे नहीं हैं। वास्तव में नकासी योजना को आकार देने के लिये चुनावी वार्ड जैसे शासनिक सीमाओं के बजाय वाटरशेड जैसी प्राकृतिक सीमाओं पर विचार किया जाना अधिक उपयुक्त होगा।

निष्कर्ष

भारत के शहर उत्पादन और उपभोग के उल्लेखनीय स्तर के साथ देश के आरथिक वकास के चालक हैं, लेकिन इस वकास कथा को जलवायु परविरतन के युग में असंवहनीय शहरी वकास से खतरा है। आवश्यकता ऐसे सुदृढ़, कार्यात्मक महानगरीय शहरों का वकास करने की है जो अरथव्यवस्था के इंजनों को चालू रखने के लिये बाढ़, ग्रीष्म लहर, प्रदूषण और जन गतशीलता को संभाल सकें। ऐसा नहीं हुआ तो शहरी भारत एक सबप्राइम नविश भर बनकर रह जाएगा।

अभ्यास प्रश्न: भारत के शहर उत्पादन और उपभोग के उल्लेखनीय स्तर के साथ देश के आरथिक वकास के चालक हैं, लेकिन इस वकास कथा को जलवायु परविरतन के युग में असंवहनीय शहरी वकास से खतरा है। टप्पिणी कीजिये।

